न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/558

दरबार खॉ आत्मज श्री हाफीज मजीदुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92(ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोराबास स्थित पुराना खसरा नम्बर 151 रकबा 74 बीघा में से मात्र 10 बीघा भूमि पर लगभग 40–50 वर्षों से वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज है । उक्त भूमि पर वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है ।

3. अतः वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री प्रदान की जावे कि वादी को ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा हाल खसरा नम्बर 268 रकबा 1.54 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 268 पर से वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी के कब्जे

काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 10 सीपीसी के प्रावधानों को समझे बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । प्रस्तुत वाद में आदेश 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । आदेश 10 सीपीसी के निरस्तारण के पूर्व जवाबदावा रिकॉर्ड पर आना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को लोक अदालत का नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थी दिनांक 16.06.2016 को कैम्प में उपस्थित हुआ जहॉ पर प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान करने की कहकर हस्ताक्षर करवाये गये । प्रार्थी ने अपने वकील साहब से आदेश की जानकारी लेने हेतु निवेदन किया दिनांक 29.07.2016 को प्रार्थी अपने वकील साहब से मिला तो उनके द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया है और न्यायालय तारीख पेशी प्रदान करता चला आ रहा है । उसी दिन न्यायालय में जाकर तलाश करने पर जानकारी हुई कि वादी का वाद खारिज कर दिया गया । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की तुरन्त नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी पर पिछले 40–50 वर्षों से निरन्तर कब्जे के आधार पर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। वादी भूमिहीन काश्तकार है और निरन्तर काबिज काश्त है । इस कारण से वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था । दावा तलबी में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सीपीसी की पालना नहीं की गई है। दस्तावेजात एवं साक्ष्य का अवलोकन किये बिना दावा खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट ने पत्रावली में उपस्थिति के हस्ताक्षर किये थे । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों को समझे बिना अपीलान्ट का दावा खारिज किया है । जवाबदावा रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है । पक्षकारान सहमत नहीं थे, ऐसी स्थिति में जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य

लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । आदेश 10 सीपीसी के प्रावधानों के तहत अपीलान्ट से कोई पूछताछ नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अवधि बाधित है ओर विलम्ब के कोई समुचित कारण नहीं बताएं हैं । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे । वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर हक घोषणा कब्जे के आधार पर नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि सरकारी सिवायचक भूमि है पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

12. इन तथ्यों के आधार पर वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं था एवं खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/558

दरबार खॉ आत्मज श्री हाफीज मजीदुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा, कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 10/दावा/2016

दरबार खॉ आत्मज श्री हाफीज मजीदुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा, कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 05.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 05.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

5/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा